चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों के कब्जे से 19 लीटर कच्ची व 77 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(1). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बैदू सिंह पुत्र अरविन्द्र सिंह निवासी गोबरिया थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 18 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना भरतकूप व उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता सैना देवी पत्नी स्व0 केशव यादव निवासी डडिया मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 19 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री श्री कन्हैयालाल बक्श थाना राजापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र नत्थू निवासी हुनवा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 28 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री मातादीन थाना पहाड़ी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश पुत्र परसदवा निवासी नौनार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना रैपुरा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रमेश पुत्र लक्ष्मीप्रसाद निवासी दरिया का पुरवा मजरा बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
(6). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त देवनाथ पुत्र दानी निवासी अमवां थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
(7). उ0नि0 श्री इन्दल कुमार थाना मारकुण्डी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सोनू कोल पुत्र चिल्लू निवासी करौहा थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 16 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा भोली-भाली जनता में आतंक फैलाकर गुण्डागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.उमाशंकर पुत्र शक्तिराम निवासी कौडर पुरवा मजरा बक्टा बुजुर्ग 2.रामबाबू पुत्र धनराज मिश्रा निवासी भरकुर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैयालाल बख्श, उ0नि0 श्री कृष्णदेव मिश्र , उ0नि0 श्री अनिल कुमार व थाना राजापुर पुलिस टीम एवं आबकारी निरीक्षक श्री नीरज वर्मा की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त मुसम्मी केशव उर्फ कल्लू निषाद पुत्र ननकू निषाद निवासी रेवाड़ी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

1.शराब बनाने के उपकरण
2.01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री कन्हैयालाल बक्श थाना राजापुर
2.उ0नि0 श्री कृष्णदेव मिश्र थाना राजापुर
3.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर
4.आरक्षी उज्जवल पांडेय
5.आरक्षी बुद्धसेन विक्रम
6.आरक्षी मनीष यादव

गिरफ्तार करने वाली आबकारी टीम का नाम-

1.आबकारी निरीक्षक नीरज वर्मा
और उनकी टीम

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामाधार सिंह व उनकी टीम एवं आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्र की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त तिलकधारी पुत्र रामआसरे निवासी कुरिया डीह मजरा तुरगवाँ को 02 प्लास्टिक के डिब्बों में कुल 40 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

1.02 अदद डिब्बों में कुल 40 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामाधार सिंह थाना बरगढ़
2.आरक्षी रोहित यादव

गिरफ्तार करने वाली आबकारी टीम का नाम-

1.आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्र

2.आबकारी सिपाही दीपक कुमार

3.आबकारी महिला सिपाही सुमित्रा देवी

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्यामप्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 65/2022 धारा 306 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. शिवमोहन पुत्र भूरा यादव 2. गोरेलाल पुत्र भूरा यादव 3. राजा यादव पुत्र भूरा यादव निवासीगण महुटा रूपौली मजरा लोखरिहा पुरवा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक 29.05.2022 को वादी रोहित कुमार पुत्र कल्लू निवासी अन्दोरा थाना कमासिन जनपद बांदा द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी थी कि मेरी बहन केता देवी पत्नी रविकरन निवासी महुटा रूपौली मजरा लोखरिहा पुरवा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा लाठी से मारकर हत्या कर देना तथा आत्महत्या के रूप देने के लिए शव को जला देना सूचना के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 65/2022 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा की गयी थी। विवेचना से धारा 302 का लोप करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमें को धारा 306 भादवि0 में परिवर्तन कर दिया गया था। तथा दिनांक 10.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

(8). आज दिनांक 20.03.2024 को जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूणे कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन,कानून व्यवस्था एवं होली के दृष्टिगत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महोदय द्वारा एससी/एसटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध, दहेज उत्पीड़न, पास्को, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य न्यायालय, तामिला, गवाहों की स्थिति, जमानत, एनबीब्ल्यू आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
महोदय द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध तत्काल वारंट जारी कर त्वरित सजा दिलाए जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में अराजक तत्वों के द्वारा दखलंअदाजी ना हो सके, जांच अधिकारी और सम्बन्धित गवाहों को सूचित कर गवाही करायी जाए गवाही न होने पर इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायी जाए ताकि उनकी गवाही कराकर अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। तथा शासकीय अधिवक्ताओ से कहा गया कि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि जितने भी पेडेनेंसी है न्यायालय के निर्गत सम्मन थानों के माध्यम से तामिला कराया जाए। महिला संबंधी मामलों पर त्वरित कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने कहा कि संमन/ वारंट चुनाव आयोग द्वारा मांगा गया है। इस पर गंभीरता से कार्य करें उन्होंने कहा कि चुनाव हनक से होता है कहा कि जो असलहा जमा नहीं हुए हैं उन्हें होली से पहले लगभग 80% जमा कराए तथा चुनाव व होली के पर्व को सकुशल संपन्न करने के लिए सभी लोग तत्परता से कार्य करें, थानों पर पीस कमेटी की बैठक करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि जो स्कूल फोर्स के लिए अधिकृत किए गए हैं वहां पर टॉयलेट, पानी व अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिला अधिकारी कर्वी श्री सौरव यादव, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, मऊ श्री राकेश पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री एस0 के0 मिश्रा सहित शासकीय अधिवक्ता एवं समस्त थाना प्रभारी उपस्थित थे।

(9). आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में आगामी लोकसभा चुनाव व होली त्योहार के दृष्टिगत सकुशल सम्पन्न कराने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया।

महोदय द्वारा लोकसभा चुनाव में गढ़बड़ी फैलाने वालों आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही कर पाबन्ध कराने हेतु बताया गया तथा, संमन/ वारंट तामिला, क्रिटिकल व वल्नरेबुल मतदान केन्द्रों पर भ्रमण कर अराजकतत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें,अवैध शस्त्र फैक्ट्री,लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराने के लिए गंभीरता से कार्य करें होली त्यौहार से पहले असलहा लगभग 80% जमा कराए, थानों में पीस कमेटी की बैठक कर शासन के दिशा निर्देश से अवगत कराये तथा केन्द्रीय फोर्स के साथ एरिया डोमनेशन कर लोगो को निर्भीक एवं स्वतंत्र वोटिग करने हेतु बताये।

इस गोष्ठी पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम कमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह एवं समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहें।

(10) आज दिनाँक 20.03.2024 अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानु भास्कर की अध्यक्षता में पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस अधिकारियों की बैठक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन महोदय द्वारा लोकसभा चुनाव में गढ़बड़ी फैलाने वालों आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही कर पाबन्ध कराने हेतु बताया गया तथा, संमन/ वारंट तामिला, क्रिटिकल व वल्नरेबुल मतदान केन्द्रों पर भ्रमण कर अराजकतत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें,अवैध शस्त्र फैक्ट्री,लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराने के लिए गंभीरता से कार्य करें तथा केन्द्रीय फोर्स के साथ एरिया डोमनेशन कर लोगो को निर्भीक एवं स्वतंत्र वोटिग करने हेतु बताये।

इस बैठक पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह,प्रतिसार निरीक्षक शिव नारायण एवं समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहें।